न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बङगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–17/2022

प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–29.04.2022

निर्णय दिनांक–15.10.2025

रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 97/1604 रकबा 1.4668 हैक्ट. वाके ग्राम प्यावडी पटवार हल्का प्यावडी तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के नाम जब उक्त भूमि नाम लगी तो प्रार्थी का बोलता नाम जो गांव में लोग पुकारते है। नुवासा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व अन्य राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है। प्रार्थी को गांव में नुवासा के नाम से ही बोला जाता है, जो उसके बचपन का बोलता नाम है। ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली व प्यावडी में नुवासा पुत्र मांगीलाल के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का सही नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है, जो सही है। ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल दर्ज है, लेकिन प्यावडी के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से रामनिवास की जगह नुवासा अंकित कर दिया गया। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम नुवासा पुत्र मांगीलाल के स्थान पर रामनिवास पुत्र मांगीलाल किये जाने के आदेश फरमावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई। प्रार्थी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्यावडी की जमाबंदी संवत् 2072–75 (वर्ष 2020) 2077 से स्थायी खाता संख्या 271 ख0न0 97/1604 रकबा 1.4668 हैक्ट. खातेदार नुवासा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. भूरावाली दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर पाया की ग्राम प्यावडी के नामान्तकरण संख्या 204 जरिये नुवासा पुत्र मांगीलाल कौम रेगर सा0 भूरावाली गैर खातेदार के बजाय नुवासा पुत्र मांगीलाल कौम रेगर सा0 भूरावाली खातेदार दर्ज स्वीकार हुआ है। जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में रामनिवास पुत्र मांगीलाल कोम रेगर निवासी भूरावाली तह0 पीपलू दर्ज है।

अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थिया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा कि भूमि आराजी ख0न0 97/1604 वाके ग्राम प्यावडी में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के नाम जब उक्त भूमि नाम लगी तो प्रार्थी का बोलता नाम जो गांव में लोग पुकारते है। नुवासा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है तथा उसके सम्पूर्ण दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व अन्य राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थी का नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है। ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली व प्यावडी में नुवासा पुत्र मांगीलाल के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में प्रार्थी का सही नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल है, जो सही है। अतः प्यावडी के राजस्व रिकॉर्ड में संहवन से रामनिवास की जगह नुवासा अंकित कर दिया गया। उक्त त्रुटी एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थी का नाम नुवासा पुत्र मांगीलाल के स्थान पर रामनिवास पुत्र मांगीलाल दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से राजस्व रिकॉर्ड की तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्यावडी की जमाबंदी संवत् 2072–75 (वर्ष 2020) 2077 से स्थायी खाता संख्या 271 ख0न0 97/1604 रकबा 1.4668 हैक्ट. खातेदार नुवासा पुत्र मांगीलाल हिस्सा पूर्ण जाति रेगर सा. भूरावाली दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन करने पर पाया की ग्राम प्यावडी के नामान्तकरण संख्या 204 जरिये नुवासा पुत्र मांगीलाल कौम रेगर सा0 भूरावाली गैर खातेदार के बजाय नुवासा पुत्र मांगीलाल कौम रेगर सा0 भूरावाली खातेदार दर्ज स्वीकार हुआ है। जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र में रामनिवास पुत्र मांगीलाल कोम रेगर निवासी भूरावाली तह0 पीपलू दर्ज है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

आशुतोष बलाई, सरपंच ग्राम पंचायत लोहरवाडा के पत्रांक एस.पी. 01 दिनांक 26.02.202423 से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार प्रार्थी रामनिवास पुत्र मांग्या या नुवासा पुत्र मांगीलाल जाति रेगर निवासी भूरावाली उर्फ अनवरनगर का है। यह दोनो नामो से जाना जाता है। इनको रामनिवास वर्मा पुत्र मांगीलाल वर्मा के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। अतः इनके जमीनी रिकॉर्ड में नाम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैक ऑफ बडौदा शाखा बगड़ी की पासबुक, राशन कार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 95 जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम अनवरनगर उर्फ भूरावाली, सरपंच ग्राम पंचायत लोहरवाडा का प्रमाण पत्र व अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया व उभयपक्ष बहस पर मनन किया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी का सही नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति रेगर है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 97/1604 रकबा 1.4668 हैक्ट. वाके ग्राम फ्यावडी पटवार हल्का फ्यावडी तह0 पीपलू में प्रार्थी का नाम नुवासा पुत्र मांगीलाल जाति रेगर दर्ज हैं। जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के त्रुटीपूर्ण नाम नुवासा पुत्र मांगीलाल जाति रेगर के स्थान पर प्रार्थी का शुद्ध नाम रामनिवास पुत्र मांगीलाल जाति रेगर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(गणराज बड़गोती, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (टोंक)